न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 42/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी

दायरा दिनांक 7.8..2020

किस्म अपीलः धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

सुमित्राबाई पत्नी बुद्धीप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी ग्राम गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी।

.... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार दबलाना तह0 हिण्डोली जिला बूंदी (राज0)।

.........रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री शंभूदयाल शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री सैफुद्दीन अंसारी राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 22.2.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बूंदी द्वारा मिसल सं. 237/अपील/2017 धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान सुमित्राबाई बनाम राज0 सरकार मे पारित निर्णय दि0 12.6.2018 के विरूद्व न्याया0 हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि न्यायालय नायब तहसीलदार दबलाना ने राज0 उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 25.11.2016 से अपीलार्थी को ग्राम सरसोद तहसील हिण्डोली के ख0 नं0 325 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा किस्म सिवायचक बजड का अतिचारी मानते हुये बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 1563/– रूपये एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया। नायब तहसीलदार दबलाना के उक्त निर्णय को निरस्त करने हेतु अपीलार्थी ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बूंदी (प्रथम अपीलेट न्यायालय) मे धारा 75 एलआरएक्ट अन्तर्गत अपील पेश की गई जिसे प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.6.2018 से खारिज कर दिया।

3 प्रथम अपीलेट न्यायालय, अति0 जिला कलक्टर बूंदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.6.2018 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा मे द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि एंव न्याय के सिद्धान्तों एवं तथ्यों के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के कब्जे की भूमि का मौका देखे बिना ही गलत रूप से अतिक्रमण की रिपोर्ट नायब तहसीलदार दबलाना को पेश की है। उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा आदेश पारित कर दिया जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है। प्रथम अपीलेट न्यायालय ने भी इस पर गौर नही करके निर्णय पारित करने मे कानूनी भूल की है। अपीलांट का विवादित भूमि पर उसके ससुर मोहनलाल के समय से लगभग 40 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। अपीलांटा को पूर्व मे मौके पर से भौतिक रूप से बेदखल नही किया गया। पटवारी की रिपोर्ट का सत्यापन कराये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई व दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने का

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अवसर दिये बिना ही आदेश पारित कर दिया जो न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपील खारिज करने मे त्रुटि की है। अपीलांटा 20 वर्ष पूर्व अपने ससुर द्वारा संभलाई गई भूमि मे मकान/बाडा बनाकर निवास कर रही है उक्त भूमि सिवायचक बंजड भूमि है जिसे अपीलांटा जानवर बांधने व चारा रखने कृषि उपकरण रखने आदि के लिये बाडा बनाया था तथा ससुर की मृत्यु के बाद से अपीलांटा बाडे मे अपने जानवर बांधने व चारा रखने मे उपयोग करती आ रही है। अपीलांटा का कोई नया अतिक्रमण नही है। यही नही अपीलांटा को कोई नोटिस जारी नही किया गया और ना ही अपीलांटा को तामील कराई गई। बिना अपीलांटा को नोटिस की तामील कराये व स्वतंत्र साक्ष्य लिये पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर आदेश पारित कर दिया जो जो नैसर्गिक न्याय का हनन होने से खारिज योग्य है। उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना जेरअपील आदेश पारित कर कानूनी त्रुटि की है। राज्य सरकार ने सन् 1970 से पूर्व के कब्जो को नियमन करने के आदेश जारी किये हुये है तथा परिपत्र दिनांक 11.1.2013 द्वारा अधिसूची मे समस्त ग्रामीण क्षैत्रों मे सिवायचक व अन्य गैर मु. राजस्व भूमियों पर दिनांक 15.7.1994 तक किये गये अतिक्रमण को नियमन करने के निर्देश दिये गये थे ऐसी स्थिति मे अपीलांट वादग्रस्त भूमि को नियमन कराने की हकदार है। इस तथ्य पर भी कोई गौर नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.6.2018 के सदमे से अपीलांटा बीमार हो गयी थी ठीक होने पर नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील पेश की गई। अतः विलम्ब क्षमा किया जाकर अपील को अवधि मध्य मानते हुये स्वीकार की जाकर निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

4 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

5 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.2.2018 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि नायब तहसीलदार द्वारा अपीलांट को नोटिस की तामील कराये बिना पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जो विधि के प्रावधानों एंव नेचुरल जस्टिस के विपरीत है क्योंकि न तो पटवारी रिपोर्ट का सत्यापन कराया गया तथा ना ही प्रकरण मे स्वतंत्र साक्ष्य लिये गये। बहस मे यह भी बताया कि अपीलांटा का 40 वर्षो से ससुर के समय से ही वादग्रस्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। ससुर की मृत्यु के बाद लगभग 20 वर्षो से अपीलांटा का कब्जा है। वादग्रस्त भूमि मे बाडा बनाया हुआ है जो चारा, पशु बाधने, कृषि उपकरण आदि रखने के काम आता है। राज्य सरकार ने सन् 1970 से पूर्व के कब्जो को नियमन करने के आदेश जारी किये हुये है तथा परिपत्र दिनांक 11.1.2013 द्वारा अधिसूची मे समस्त ग्रामीण क्षैत्रों मे सिवायचक व अन्य गैर मु. राजस्व भूमियों पर दिनांक 15.7.1994 तक किये गये अतिक्रमण को नियमन करने के निर्देश दिये गये थे उक्त अवधि मे बढाया गया है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट वादग्रस्त भूमि को नियमन कराने की हकदार है। उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है अतः निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जावे।

6 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे बताया कि अपीलांटा ने राजकीय सिवायचक बजंड भूमि पर अतिक्रमण किया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

जाकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से अपी0 को बेदखल किया गया है। अतः अपीलांटा पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार बार अतिक्रमण करने का आदि है। अतिक्रमित भूमि से कब्जा नही छोडा है ना ही कब्जा छोडने बावत पत्रावली मे कोई साक्ष्य उपलब्ध है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

7 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 ने शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया है तथा ना ही खण्डन मे कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश किये है ऐसी स्थिति मे अपील पेश करने मे हुआ विलम्ब सद्भाविक होने से क्षम्य योग्य है। लिहाजा डिले कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

8 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। परीक्षण एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांटा द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह राजकीय सिवायचक बजड भूमि है। नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रकरण सं0 5672/16 मे कृषि वर्ष 2073 मे ख0 नं0 325 मे अतिक्रमण करने का पश्चातवर्ती नोटिस राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अधीन अपीलांटा को जारी किया गया है जो परीक्षण न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद है। उक्त नोटिस के अवलोकन से प्रकट होता है कि नोटिस की तामील जरिये चस्पादगी की गई है। अतः स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा जारी उक्त नोटिस की अतिचारी/अपीलाटां को प्रोपर तामील कराये बिना तथा सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय रूप से नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा दिनांक 25.11.2016 को निर्णय पारित किया गया है जो नेचुरल जस्टिस के विपरीत होने से न्यायोचित नही ठहराया जा सकता, क्योंकि प्रकरण मे अपीलाटां/अतिचारी को वादग्रस्त आराजी के संबध मे अपना पक्ष एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्राप्त नही हो सका। प्रथम अपीलेट न्यायालय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर बूंदी द्वारा भी उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अपील अपीलांट खारिज करने मे प्रकियात्मक, विधिक त्रुटि की है। अतः हम निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय को न्यायोचित नही पाते है। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निर्णय हरदों अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दबलाना दिनांक 25.11.2016 एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी अति0 जिला कलक्टर बूंदी दिनांक 12.6.2018 निरस्त किये जाते है। प्रकरण नायब तहसीलदार दबलाना को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के संबध मे अपीलांटा को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुनः निर्णय पारित करे।

9 निर्णय आज दिनांक 22.2.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित कराया जाकर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

22/2/21

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा, कोटा